न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः– 01/2016 (75 एल.आर.एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :–2016/00220

उनवान

1. वृन्दावनी वेवा मुकंदी } जाति जाटव निवासीगण ग्राम सिंगोरई तह0 बाडी जिला धौलपुर।
2. तुलसीराम पुत्र मुकंदी }

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।
2. पप्पू } पुत्रगण मुकंदी जाति जाटव निवासीगण ग्राम सिंगोरई तह0 बाडी जिला धौलपुर।
3. सत्यवीर }

.....रेस्पोडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि0 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.03.03 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर मु0न0 34/03 उनवानी सरकार बनाम वृन्दावनी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विनोद भार्गव उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित ।

निर्णय दिनांक–18.05.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कल्कटर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट संख्या 01 के पति तथा अपीलाण्ट संख्या 02 व रैस्पो0 संख्या 02 व 03 के पिता मुकन्दी को दिनांक 17.09.1970 को ग्राम सिंगोरई स्थित आराजी खसरा नम्बर 68/1135 रकवा 03 बीघा आवंटित हुई थी। मुकन्दी की विरासत उसकी पत्नी वृन्दावनी तथा पुत्रगण तुलसी, पप्पू, अशोक व सत्यवीर ने प्राप्त की, जिसमें से अशोक लाबल्द फौत हो गया। तहसीलदार बाडी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध अपीलाण्ट संख्या 01 प्रस्तुत कर आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमानुसार आवंटन की पालना नहीं करने एवं कब्जा काश्त नहीं होने के कारण

निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई दिनांक 31.03.2003 को एक पक्षीय रूप से स्वीकार करते हुए; आवंटन निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण की ओर से यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया एवं ना ही अपीलाण्ट पर कोई सम्मन तामील हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने तामील कुनिन्दा की फर्जी तरीके से कराई गई तामील के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट को विवादित भूमि का आवण्टन विधिवत, आवण्टन सलाहकार समिति धौलपुर द्वारा किया गया है एवं वक्त आवण्टन से ही अपीलाण्ट, आवण्टित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त कर रहा है। अपीलाण्ट ने आवण्टन की समस्त शर्तो की पालना विधिवत रूप से की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन आधारो पर आवंटन निरस्त किया गया है, वह कानून से विलोपित कर दिये गये हैं; अतः उक्त आधारो पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की ओर गौर ना करते हुए अपीलाधीन आदेश साइक्लोस्टाईल प्रपत्र पर पारित किया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट के साथ पप्पू, तुलसी, अशोक व सत्यवीर भी कृषक के रूप में अंकित थे। परन्तु उन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर नही दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2003 को खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेज 214 एवं 249 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर अपने कब्जे काश्त का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे उनका कब्जा काश्त साबित हो सकें। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट के इस तर्क को, कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पर नोटिस की तामील समुचित नहीं हुई एवं सभी हितधारियों को पक्षकार नहीं बनाने से NON JOINDER का दोष था; केवल तर्क के लिए मान भी लिया जावें, तो भी अपीलाण्ट को अनुतोष देने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अतः तामील व तलवी के तकनीकी बिन्दु पर हम अपील का निस्तारण उचित नहीं पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हम अपीलाण्ट के इस तर्क को भी नहीं नकारते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित करना त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट के उपरोक्त तर्क अधीनस्थ न्यायालय के कार्य प्रक्रिया पर तो प्रश्न चिन्ह है परन्तु प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है। न्यायहित में, महत्वपूर्ण इस तथ्य का परीक्षण है कि, क्या उक्त आवण्टन के सन्दर्भ में आवण्टन की शर्तो की पालना हुई है, जिसके कारण आवंटन बहाल रहने योग्य है ? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2030–33 एवं 2054–57 में पडत दर्ज है। इस अंकन से अपीलाण्ट की काश्त नहीं होना एवं फलतः कब्जा सिद्ध नहीं होता है। खसरा गिरदावरी के इन्द्राज के विरूद्ध अपीलाण्ट ने कोई आक्षेप नहीं किया है एवं ना ही अपने कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट स्वयं, अपील मीमो की मद संख्या 7 में व्यवसाय हेतु महाराष्ट्र रहना बताया है। अतः अपीलाण्ट को व्यवसायी होने के कारण, सद्भावी काश्तकार नहीं माना जा सकता है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि आवंटन नियमों में संशोधन उपरान्त आवंटन निरस्तीकरण का आधार विलोपित हो गया है, को हम सारपूर्ण नहीं पाते हैं। राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम 1970 के नियम 14(3) में अधिसूचना 6(19) REV.VI/92/31/ दिनांक 23.09.1999 से संशोधन के उपरान्त भी आवंटित भूमि पर काश्त कर उसका समुचित उपयोग किया जाना अनिवार्य है। अपीलाण्ट ने आवंटित भूमि पर काश्त कर, आवंटित भूमि का समुचित उपयोग कर लिया है व उसका कब्जा काश्त है; इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन आवंटन को बहाल रहने लायक नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2003 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर